



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-31032022-234700
CG-DL-E-31032022-234700

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1432]

No. 1432]

नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 30, 2022/चैत्र 9, 1944

NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 30, 2022/CHAITRA 9, 1944

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 मार्च, 2022

का.आ. 1475(अ)-केन्द्रीय सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि जम्मू एवं कश्मीर राज्य के बारामूला जिले में नवीन घोषित राष्ट्रीय राजमार्ग एन.एच.-701 के कि.मी. 0+000 से 13+000 कि.मी. तक रफीआबाद-कुपवाड़ा-चौकीबल-तंगधार-चमकोट रोड(पैकेज-2) का निर्माण (चौड़ीकरण/टू लेन विड पेव्ड शोल्डर का बनाने आदि), अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए वह भूमि अपेक्षित है, जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है;

कोई व्यक्ति, जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा 3 ग की उपधारा (1) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर आक्षेप कर सकेगा ;

ऐसा प्रत्येक आक्षेप सक्षम प्राधिकारी अर्थात् डिप्टी कमिश्नर (राजस्व) एवं भूमि अधिग्रहण अधिकारी, बारामूला, जिला बारामूला को लिखित रूप में किया जाएगा और उसमें उसके आधार अधिकथित किए जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी, आक्षेपकर्ता को व्यक्तिगत रूप में या किसी विधि व्यवसायी द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसे आक्षेपों की सुनवाई के पश्चात् तथा ऐसी और जाँच करने के पश्चात्, यदि कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आक्षेपों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा;

उक्त अधिनियम की धारा 3 ग की उपधारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई आदेश अंतिम होगा ; और इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के रेखांक और अन्य व्यौरे सक्षम प्राधिकारी के उक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनका हितबद्ध व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची

जम्मू एवं कश्मीर राज्य के जिले बारामूला में नवीन घोषित राष्ट्रीय राजमार्ग एन.एच.-701, के कि.मी. 0+000 से 13+000 कि.मी. तक रफीआबाद-कुपवाड़ा-चौकीबल-तंगधार-चमकोट रोड़(पैकेज-2) के लिए भू खण्ड अर्जन की जाने वाली संरचना रहित अथवा संरचना सहित भूमि का संक्षिप्त विवरण।

राज्य का नाम: जम्मू और कश्मीर		जिले का नाम: बारामूला			
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (स्थानीय इकाई)	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
तालुक का नाम: बारामूला					
गांव का नाम: सदीपोरा					
1	407	निजी	बागी खुशकी	0.0070000(हेक्टेयर)	0.0070000
2	408	निजी	बागी खुशकी	0.0295000(हेक्टेयर)	0.0295000
3	452/404	निजी	बागी खुशकी	0.0225000(हेक्टेयर)	0.0225000
4	456/407	निजी	बागी खुशकी	0.0320000(हेक्टेयर)	0.0320000
5	530/395	निजी	बागी खुशकी	0.0056000(हेक्टेयर)	0.0056000
6	532/409	निजी	बागी खुशकी	0.0348000(हेक्टेयर)	0.0348000
तालुक का नाम: रोहामा					
गांव का नाम: चिजामा					
1	1483	सरकारी	मैदानी	0.0169000(हेक्टेयर)	0.0169000
2	1674	निजी(शामिलात देह)	स्कूल बिल्डिंग	0.0427000(हेक्टेयर)	0.0427000
3	1679	निजी	बागी खुशकी	0.0056000(हेक्टेयर)	0.0056000
4	1679	निजी	बागी खुशकी	0.0093000(हेक्टेयर)	0.0093000
5	3298/1484	निजी	बागी खुशकी	0.0162000(हेक्टेयर)	0.0162000
6	3299/1484	निजी	बागी खुशकी	0.0289000(हेक्टेयर)	0.0289000
गांव का नाम: लोगरीवारपोरा					
1	482	निजी	बागी खुशकी	0.0010000(हेक्टेयर)	0.0010000
2	484	निजी	बागी खुशकी	0.0044000(हेक्टेयर)	0.0044000
तालुक का नाम: वातरगम					
गांव का नाम: शोगपोरा					
1	341	निजी	बागी खुशकी	0.0170000(हेक्टेयर)	0.0170000
कुल				0.2734	0.2734

[फा. सं. 1/3a/3A]

राजेश गुप्ता, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 30th March, 2022

S.O.1475(E)—In exercise of the powers conferred by sub section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956)(hereafter referred to as the said act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which is given in the Schedule below, is required for building (widening /two lanning with paved shoulder),maintenance,management and operation of the Newly declared National Highway No. NH-701 in the stretch of land from Km. 0+000 to Km. 13+000, Rafiabab-Kupwara-Chowkibal-Tangdhar-Chamkot Road(Package-2) in the District of Baramulla, in the State of Jammu&Kashmir, hereby declares its intention to acquire such land.

Any person interested in the said land may, within twenty-one days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, object to the use of such land for the aforesaid purpose under sub-section (1) of section 3C of the said act.

Every such objection shall be made to the Competent Authority, namely, the Deputy Commissioner(Revenue) and Land Acquisition Officer Baramulla, District Baramulla, in writing and shall set out the grounds thereof and the Competent Authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by a legal practitioner, and may after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the competent authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made by the competent authority under sub-section (2) of section 3 C of the said act shall be final. The land plans and other details of the land covered under this notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the competent authority.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired with or without structure falling within the stretch of land Km. 0+000 to Km. 13+000 Rafiabab-Kupwara-Chowkibal-Tangdhar-Chamkot Road (Package-2) of the newly declared National Highway NH-701 in the District of Baramulla,in the State of Jammu & Kashmir(UT).

State: JAMMU & KASHMIR			District: BARAMULLA		
Sl. No.	Survey / Plot Number	Type of Land	Nature Of Land	Area (in Local Unit)	Area (in Hectare)
Taluk: Baramulla					
Village: SadiPora					
1	407	Private	Baghi Khushki	0.0070000(Hectare)	0.0070000
2	408	Private	Baghi Khushki	0.0295000(Hectare)	0.0295000
3	452/404	Private	Baghi Khushki	0.0225000(Hectare)	0.0225000
4	456/407	Private	Baghi Khushki	0.0320000(Hectare)	0.0320000
5	530/395	Private	Baghi Khushki	0.0056000(Hectare)	0.0056000
6	532/409	Private	Baghi Khushki	0.0348000(Hectare)	0.0348000

Taluk: Rohama					
Village: Chijhama					
1	1483	Government	Maidani	0.0169000(Hectare)	0.0169000
2	1674	Private(Shamilat Deh)	School Building	0.0427000(Hectare)	0.0427000
3	1679	Private	Baghi Khushki	0.0056000(Hectare)	0.0056000
4	1679	Private	Baghi Khushki	0.0093000(Hectare)	0.0093000
5	3298/1484	Private	Baghi Khushki	0.0162000(Hectare)	0.0162000
6	3299/1484	Private	Baghi Khushki	0.0289000(Hectare)	0.0289000
Village: Logriwarpura					
1	482	Private	Baghi Khushki	0.0010000(Hectare)	0.0010000
2	484	Private	Baghi Khushki	0.0044000(Hectare)	0.0044000
Taluk: Watergam					
Village: Shogpora					
1	341	Private	Baghi Khushki	0.0170000(Hectare)	0.0170000
Total				0.2734	0.2734

[F. No. 1/3a/3A]
RAJESH GUPTA, Director